THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM); (a) and (b) No licence has been issued to SOPA. However, 38 firms registered with SOPA obtained Advance Licences under the Special Scheme notified by Public Notice No. 273 dated 20.2.1995 in accordance with the provision of the Export & Import Policy.

(c) Duties exempted under the Duty Exemption Scheme allowing benefits of duty free imports for use in export products cannot be regarded as revenue loss.

(d) to (f) In order to ensure that domestic soyabean crop is not infected, imported soyabean consignments are put to strict quarantine tests by the concerned Governmental agencies before allowing clearance.

According to available information, only one firm has imported 23,300 MT of soyabean which has been recently cleared after having undergone the quarantine formalities.

Control of Shrimp Virus in Andhra Pradesh

833. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether MPEDA had not taken adequate precautions in 1994-95 to control the virus which wiped out shrimp farms in Andhra Pradesh;

(b) if so, the reasons for this negligence; and

(c) what action is proposed for this negligence on part of MPEDA?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) immediately after the outbreak of virus disease in shrimp farms in Andhra Pradesh in 1994-95, MPEDA initiated precautionary measures which included the following:—

(i) Recommendation for declaration of 'crop holiday' for a period of 3-4 months as a measure to contain the spread of the virus;

(ii) Issue of guidelines for re-starting shrimp farming after the crop holiday;

(iii) Dissemination amongst farmers of information on pollution control including design for effluent treatment system developed and suggested by the National Environment Engineering Research Institute (NEERI).

(b) and (c) Do not arise.

थोक मूल्य सूचकांक

834. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही तक गत तीन वर्षों में प्रत्येक तिमाही के दौरान थोक मूल्य सूचकांक क्या रहे हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान खाद्य वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक क्या रहे; और

(ग) थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि के लिए कौन-कौन से मुख्य कारण उत्तरदायी हैं और इस वृद्धि को काबू में रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्त मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) गत 3 वर्षों के लिए समग्र वस्तुओं तथा खाद्य वस्तुओं हेतु तिमाही थोक मूल्य सूचकांक दर्शाने वाला विवरण अनुपत्र पर दिया गया है। [**देखिए** परिशिष्ट 174, अनुपत्र सं०-27]

(ग) वस्तुओं के मूल्य स्तरों में वृद्धि, अर्थव्यवस्था के मांग और पूर्ति संबंधी विभिन्न कारकों के पारस्परिक प्रभाव के फलस्वरूप होती है। मूल्यों में वृद्धि के कुछ कारण हैं: दालों और खाद्य तेलों जैसी वस्तुओं की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर होना, वर्ष के दौरान किसी वस्तु विशेष के उत्पादन में गिरावट आना, निवेश लागतों में वृद्धि के कारण कृषि जन्य उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में संशोधन होना, वर्षानुवर्ष जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि के कारण बढ़ी हुई मांग में वृद्धि होना। मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में,

किसानों तथा विनिर्माताओं को अपना उत्पादन बढ़ाने हेतु दिए जाने वाले प्रोत्साहन, जब कभी आवश्यक हो खाद्य तेलों, दालों, चीनी, कपास का आयात करना, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, शामिल है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति करने के अतिरिक्त सहकारी भण्डारों तथा राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों के माध्यम से भी उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। राज्य सरकारों से अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर कड़ी नजर रखने का अनुरोध किया गया है।

सरकारी क्षेत्र की कोयला धोवनशालाओं में क्षमता का उपयोग

835. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्र की कोयला धोवनशालाओं में इनकी स्थापित क्षमता के अनुसार उतपादन नहीं किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो 1992-93, 193-94 और 1994-95 के वर्षों के दौरान इन धोवनशालाओं द्वारा उत्पादन हेतु कितने प्रतिशत उत्पादन-क्षमता का उपयोग किया गया;

(ग) क्या सरकार ने इन धोवनशालाओं द्वारा अपनी स्थापित उत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग न कर पाने के कारणों का पता लगा लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि॰ की 15 कोककर कोयला वाशरियों की औसत उपयोगिता क्षमता को नीचे दर्शाया गया है:—

वर्ष	संचालन क्षमता की उपयोगिता क्षमता की औसत प्रतिशतता
1992-93	67.76
1993-94	68.23
1994-95	68.20

(ग) और (घ) विद्यमान वाशरियों की क्षमता की कम उपयोगता के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं:—

(i) अधिकांशः वाशरियां पुरानी हैं और उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले का परिष्करण किए जाने के लिए विनिर्मित किया गया है। कई वर्षों से इन भंडारों का परिसमापन होने के कारण कच्चे कोयले के फीड में राख की मात्रा में वृद्धि हो गई है, जिसमें वाशरियों के कार्य निष्पादन में काफी प्रभाव पड़ा है।

(ii) वाशरियों के लिए कच्चे कोयले फीड की मात्रा अपर्याप्त है।

(iii) प्रायः बिजली का खराब होगा।

Primary Consumer Cooperative Societies

836. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that nearly half of the Primary Consumer Cooperative Societies in the country were making profits while the rest were incurring losses;

(b) whether it is also a fact that only 25 wholesale stores in five States were making profits and rest are in losses; and